



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175007

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमान आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या -
7919/2026**

मुकेश एवं 2 अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अमित कुमार सिंह

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार सिंह, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकों की ओर से वाद अपराध संख्या 236 सन् 2026, धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 109(1) बी.एन.एस., थाना-महदावल, जनपद-संत कबीर नगर में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदकों को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदकों को वर्तमान अपराध में झूठा फंसाया गया है। उन्हें एफआईआर में नामित नहीं किया गया था। सह-अभियुक्त गोविंद

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मौर्य उर्फ रामू, बलगोविंद मौर्य एवं राकेश मौर्य को सत्र न्यायाधीश, संत कबीर नगर द्वारा दिनांक 22.06.2026 के आदेश के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। क्रॉस मामले हैं और आवेदकों की ओर से भी चोटें आई हैं तथा एक मामला, वाद अपराध संख्या 238 सन् 2026, धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 109 बी.एन.एस., थाना-महदावल, जनपद-संत कबीर नगर, आवेदकों की ओर से दर्ज कराया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदकों की ओर से दर्ज क्रॉस मामले में अभियुक्त सतीश यादव को इस न्यायालय द्वारा धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 6826 सन् 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदकों का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

4- सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री लल्लन प्रसाद यादव ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक एवं अन्य अभियुक्त द्वारा तीन व्यक्तियों के साथ निर्ममतापूर्वक मारपीट की गई है। पवन यादव को 14 चोटें, देवेंद्र को 3 चोटें, मूरत यादव को 3 चोटें, नितेश को 7 चोटें तथा सतीश यादव, जिसे इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है, को 13 चोटें आई हैं। सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि सूचनाकर्ता को आई चोटें न केवल गंभीर प्रकृति की थीं, बल्कि जीवन के लिए भी खतरनाक थीं। गवाहों के बयानों में आवेदकों की भूमिका का खुलासा किया गया है और उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।

5- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।

6- यह स्वीकृत मामला है कि दोनों पक्षों की ओर से परस्पर विरोधी संस्करण हैं। दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। न्यायालय की प्रथमदृष्टया राय में, यह अभिनिर्धारित करना अनुचित होगा कि कौन-सा पक्ष आक्रामक था। इसी प्रकार की स्थिति वाले सह-अभियुक्त गोविंद मौर्य उर्फ रामू, बलगोविंद मौर्य एवं राकेश मौर्य को सत्र न्यायाधीश, संत कबीर नगर द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत प्रदान की गई है कि अभियुक्त राजेश मौर्य के सिर के सी.टी. स्कैन में रक्त का थक्का पाया गया था।

7- यह न्यायालय उक्त आधार से प्रभावित नहीं है। अनेक घायलों को अनेक चोटें आई हैं, जबकि अग्रिम जमानत की मांग करने वाले आवेदन में अभियुक्तों की ओर से एक भी चोट की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आख्या दाखिल नहीं की गई है। आवेदन के साथ दाखिल शपथपत्र में झूठे फंसाए जाने का कोई विश्वसनीय कारण नहीं दिया गया है।

8- उपर्युक्त चर्चा किए गए संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा न्यायालय की राय में, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का कोई मामला नहीं बनता है। अग्रिम जमानत आवेदन एतद्वारा **निरस्त** किया जाता है।

9- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत आवेदन के निस्तारण तक ही सीमित हैं और उन्हें मामले के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा। आवेदक उपस्थित होकर नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर इस आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना, उसके अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा और उसका निस्तारण किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

19 अगस्त, 2026

प्रशांत डी.